तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2540/2003/अलवर** **मूर्ति बनाम तेजमल**	

एकल–पीठ

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री माधवराज सिंह, अभिभाषक प्रार्थियां।
(2) श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय **दिनांकः 27.09.2023**

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत विद्वान उपजिला कलक्टर, मुण्डावर में पारित आदेश दिनांक 04–04–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश से वाद वादनी आदेश 9 नियम 5 अदम हाजरी एवं अदम अनुपालना में खारिज किया गया है।

2– निगरानी पर योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

3– योग्य अधिवक्ता प्रार्थियां ने अपनी निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से श्री सत्यवीर चौधरी, एडवोकेट ने वकालतनामा पूर्व में ही पेश कर दिया था। अतः प्रतिवादीगण कीी तामील होना शेष नहीं था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अप्राथीगण का वकालतनामा रिकॉर्ड पर होते हुए भी प्रार्थियां/वादीया द्वारा तामील न कराया जाना मानते हुए भी प्रार्थियां/वादीया द्वारा तामिल न कराने के कारण अदम हाजरी एवं अदम तकमील में खारिज करने का आदेश देने में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग भारी अनियमितता एवं अवैधानिकता पूर्वक किया है। प्रार्थियां एक ग्रामीण महिला है जो हमेशा से अपने कैस की पैरवी करने हेतु अपने अभिभाषक पर निर्भर थी। अतः प्रार्थियां दिनांक 04–04–2003 को न्यायालय में नहीं गयी थी व प्रार्थियां के अभिभाषक भी अन्य न्यायालय में व्यस्थ होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके। अतः प्रार्थियां का वाद सद्भाविक कारणों से दिनांक 04–04–2003 को अदम हाजरी एवं अदम तकमील में निरस्त कर दिया गया जिसे न्यायहित में पुनः नंबर पर लिया जाकर मैरिट पर निर्णित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थियां की निगरानी स्वीकार किया जाकर विद्वान उपजिला कलक्टर, मुण्डावर का निर्णय दिनांक 04–04–2023 न्यायहित में निरस्त फरमाया जावें व प्रार्थियां के वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर मैरिट पर निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किये जाने का निवेदन किया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2540/2003/अलवर** **मूर्ति बनाम तेजमल**	

4– प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए कथन किये कि विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश उचित एवं न्यायसंगत है। यदि प्रार्थियां के वाद को पुनः नंबर पर लिया जाता है तो कॉस्ट लगायी जावें।

5– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। उपलब्ध रेकार्ड का आधोपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया।

6– विद्वान उपजिला कलक्टर, मुण्डावर ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 04–04–2003 से वाद वादनी आदेश 9 नियम 5 अदम हाजरी एवं अदम अनुपालना में खारिज किया गया है। न्यायहित में प्रार्थियां को वाद में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना उचित है। अतः निगरानी को कॉस्ट के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

7– अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थियां की निगरानी 2000/– रू. पर स्वीकार की जाकर प्रार्थियां के वाद को नंबर पर लिया जाता है।

8– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नियमानुसार नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य